

SC 04/2019

State of Haryana

25/05/2026.

Add PP उप.।

अभिपुत्र हजारीराम की आज की पेशी की हा.मा.
का प्रा. पत्र पेश हुआ जो लखि अचिकरत
आज के लिए स्वीकार की गई। साक्ष्य अभियोग
में जवाब PW (17) चन्द्रमणि, PW (18) अशोक
कुमार, PW (19) पदम सिंह, PW (20) प्रभा
कुमार ने बयान लेख कर लिखे गए। पक्षों की
इस मुकदमे दिनों में को पेश होने में।

अपराध विभाग
जिला न्यायाधीश

26.05.2026.

Add PP उप.।

अभिपुत्र हजारीराम की आज की पेशी की
हा.मा. का प्रा. पत्र पेश किया जो आज
के लिए स्वीकार किया गया। साक्ष्य अभियोग
में जवाब PW (21) डॉ. रामेश कुमार गोयदानी
के बयान लेख कर लिखे गए। जवाब (26) डॉ.
महेश कुमार व जवाब सं (27) डॉ. रवि
भास्कर को अभियोग पक्ष ने नक़ किया।
जवाब सं. की जवाब सं (2) (29) (30)
लखि अब 2026 तलाक हो। तारीखों पर टाइटल
केस, महिला उत्पीड़न प्रकरण, आवश्यक रूप
से तारीख कएने को नोट लगावे। पक्षों की
माहने साक्ष्य अभियोग दिनांक 05.06.2026
को पेश होने में।

अपराध विभाग एवं सेशन न्यायाधीश
पोकरण, जिला-सदर (जज)